न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10 / 2017 (राजसमन्द आर्डर)

सोहनसिंह पिता सावन्तसिंह राजपूत, निवासी खटामला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द (राज.)
2. भैरूसिंह पिता गंगासिंह राजपूत, निवासी खटामला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. सोहनसिंह पिता गंगासिंह राजपूत, निवासी खटामला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर, राजसमन्द दिनांक
24–10–2017 प्रकरण सं. 12 / 2013

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री आर.एल. जाट अभिभाषक रेस्पो. 2, 3
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

———::———

निर्णय **दिनांक 16–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द में प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा विपक्षी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खटामला में आराजी नंबर 1420 रकबा 11 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता गंगासिंह को मिसल संख्या 432 / 1978 दिनांक 15–12–1978 से आंवटित की गयी, जिसके वर्तमान

आराजी नंबर 1837/1420 होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज है। उक्त आवंटन में नियमों की पालना नहीं की गयी है एवं आवंटन कमेटी में कम से कम 2 जनप्रतिनिधियों का होना आवश्यक था, परन्तु बिना 2 जनप्रतिनिधि के आवंटन किया गया है। वक्त आवंटन भूमि पर कब्जा प्रार्थी के पूर्वाधिकारियों का था तथा भूमि मेवाड़ सेटलमेन्ट में श्री विट्ठलनाथ जी भण्डार ठिकाना नाथद्वारा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी एवं ठिकाना नाथद्वारा द्वारा उक्त भूमि का 328/– रूपये में प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम पट्टा जारी किया गया था, लेकिन प्रार्थी के पूर्वाधिकारी अनपढ़ होने से राजस्व रेकार्ड में भूमि खाते दर्ज नहीं करवा सके, जबकि प्रार्थी मौके पर काबिज होकर अपने पूर्वजों के समय से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–03–2015 को अप्रार्थी का जवाब बंद कर दिया गया तथा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24–10–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एल. जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने अपील में प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया है तथा ठिकाना नाथद्वारा द्वारा दिये गये पट्टे पर कोई विचार नहीं किया

है। खसरा पत्रक से अपीलान्ट के कब्जे की पुष्टि होती है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। बवक्त आवंटन आवंटित भूमि की उपलब्ध नहीं होने के तथ्यों पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है।

→ प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह प्रकट आया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पट्टे के सन्दर्भ में अपने निर्णय में विवेचन करते हुए यह वर्णित किया गया है कि यह भूमि मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में बिलानाम दर्ज थी न कि ठिकाना नाथद्वारा के नाम दर्ज थी। पट्टे में किसी प्रकार के खसरा नंबर का अंकन नहीं है। वैसे भी पट्टे के आधार पर स्वत्व प्राप्त करने के लिए प्रार्थी/अपीलान्ट को संबंधित समक्ष न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना चाहिए था, न कि आवंटन निरस्ती का आवेदन। प्रकरण में जहां तक कब्जे का प्रश्न है, अपीलान्ट/प्रार्थी का कब्जा होने बाबत् उसके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे विवादित भूमि पर उसका कब्जा माना जा सके।

प्रकरण में जहां तक आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के उपस्थित होने का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, परन्तु दौराने बहस उसके द्वारा आवंटन आवेदन व उस पर किये गये आदेश की प्रतिलिपि पेश की गयी है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी के अलावा तीन अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि तत्समय आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं था। प्रकरण में आवंटन खारिज करवाये जाने के लिए अपीलान्ट को सिर्फ यह प्रमाणित करवाना था कि आवंटन फ्रोड एवं मिस रिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। सिर्फ यह कथन किया गया है कि आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है, जो प्रमाणित नहीं करवाया गया है। प्रकरण में दीर्घकाल तक आवंटी/विपक्षी को खातेदारी नहीं दिये जाने से आवंटन खारिज किये जाने का कोई आधार नहीं है, न ही प्रार्थी/अपीलान्ट को इस कारण विशेष व्यथित माना जा सकता है। आवंटन वर्ष 1978 में होने के करीब 35 वर्ष बाद आवंटन खारिज किये जाने का अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसका विवादित भूमि पर उसका पुराना

कब्जा है, जबकि इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। तद्नुसार 35 वर्षो बाद विधिक रूप से किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का जो प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–10–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर